एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिबंधित पीएफआई एवं उसके प्रतिबंधित अनुषांगिक संगठनों के विरूद्ध प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया, जिसकी कृत कार्यवाही का संक्षिप्त नोटः

अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएस द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के मार्गदर्शन एवं विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था के निकट पर्यवेक्षण में पीएफआई संगठन से जुड़े सदस्यों के संबंध में लगातार कार्यवाही करायी जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

- भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2022 में पीएफआई एवं इसके आठ अनुषांगिक संगठनों को उनकी विध्वंसात्मक गतिविधियों, आतंक आधारित रिग्रेसिव रिजीम को प्रोत्साहित व लागू करने, एक वर्ग विशेष में देश के प्रति असंतोष पैदा करने, राष्ट्र-विरोधी व कट्टरपंथी भावनाएं भड़काने तथा देश की अखण्डता, सुरक्षा और सम्प्रभुता को खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को और तेज करने के कारण, इनको प्रतिबंधित संगम घोषित किया गया था। तत्समय पीएफआई संगठन से जुड़े सदस्यों के विरूद्ध देश-व्यापी कार्यवाही की गयी थी।
- एटीएस उत्तर प्रदेश एवं अन्य सहयोगी इकाईयों द्वारा भी तत्समय प्रदेश स्तर पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धित संगठन पीएफआई से जुड़े सक्रिय 21 सदस्यों के विरूद्ध जनपद मेरठ, बाराबंकी, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़ व अयोध्या में अभियोग पंजीकृत कराये गये। साथ ही निरन्तर कार्यवाही करते हुए साक्ष्यों के क्रम में लगभग 132 संदिग्ध सदस्यों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही (108 CrPC / 151 CrPC) भी की गयी थी।
- विशेष गठित ट्रिब्यूनल में UP ATS की प्रभावी पैरवी एवं प्रस्तुत सबूतों से संतुष्ट होकर पीएफआई एवं इसके आठ अनुषांगिक संगठनों पर प्रतिबंध जायज ठहराया गया।
- एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से पूर्व में जुड़े लगभग 211 संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया।
- एटीएस द्वारा दिनांक 06.05.2023 को प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय विशेष गोपनीय अभियान चलाकर चिन्हित संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
- इस विशेष अभियान हेतु एटीएस की फील्ड इकाई नोएडा, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ को सक्रिय किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) को नोडल अधिकारी नामित करते हुए, छापेमारी हेतु 30 विशेष टीमों का गठन किया गया।
- एटीएस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के क्रम में प्रचलित इस विशेष गोपनीय अभियान के दौरान 2 अन्य रू. 50-50 हजार के पुरस्कार घोषित व मु.अ.सं. 299/22 धारा 153-ए, 153-बी भादवि एवं 7, 8, 13-1 (ए)(बी) ,13(2) UA(P) एक्ट थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त परवेज अहमद एवं रईस अहमद को गिरफ्तार किया गया।
- अब-तक उपरोक्त चिन्हित संदिग्ध व्यक्तियों में से लगभग 70 व्यक्तियों को पूछताछ हेतु एटीएस यूनिट / संबंधित थाने पर लाया गया है, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत् है –

लखनऊ	- 9	वाराणसी	- 8	शामली	- 11
सीतापुर	- 1	आजमगढ़	- 3	मुजफ्फरनगर	- 3
बहराइच	- 2	कानपुर	- 2	मुरादाबाद	- 1
बलरामपुर	- 1	गाजियाबाद	- 10	रामपुर	- 1
बाराबंकी	- 3	मेरठ	- 4	बिजनौर	- 5
सिद्धार्थनगर	- 1	बुलन्दशहर	- 1	अमरोहा	- 1
देवरिया	- 2	सहारनपुर	- 1		

- उपरोक्त संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ जारी है, साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों एवं उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज की जानकारी हेतु इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा विश्लेषण भी किया जा रहा है।
- पूछताछ एवं डेटा विश्लेषण के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।